जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक 15.05.2025

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना दुधारा*** पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल बहाव 02. मो0 सिराज पुत्र मो0 शरीफ निवासी करही थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दुबे, का0 रंजन सिंह, का0 नवतेज सिंह, का0 भीम कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 150 वाहनों से 1,70,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 150 वाहनों से 1,70,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी बखिरा *श्री सर्व दवन सिंह* के पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस* द्वारा** मु0अ0सं0 174/2025 धारा 69, 351(3) बीएनएस के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अभिषेक पुत्र अशोक शर्मा ग्राम अठलोहिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. अभिषेक पुत्र अशोक शर्मा ग्राम अठलोहिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 राजेश कुमार, का0 लवकेश यादव।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी बखिरा ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा ***श्री राकेश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 175/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट मे वांछित अभियुक्त विजय कुमार पुत्र सर्वजीत चौधरी निवासी सांगठ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को दुर्गजोत तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी की पुत्री की दहेज की मांग पूरी न करने पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 13.05.2025 को हत्या कर दिया गया था, जिस संबन्ध में वादी द्वारा थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध गंभीरता से लेते हुए थाना बखिरा पुलिस द्वारा हुए उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी आज दिनांक 15.05.2025 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, हे0कां0 अमित सिंह, का0 संजीव यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 250/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट मे वांछित अभियुक्त कुलदीप गौड़ पुत्र रामसिंह गौड़ निवासी परसपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को नौरगिया चौराहे तामेश्वरनाथ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी की बहन की दहेज की मांग पूरी न करने पर अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दिनांक 25.03.2025 को जहर खिलाकर हत्या कर दिया गया था, जिस संबन्ध में वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा हुए उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी आज दिनांक 15.05.2025 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, हे0कां0 राभवन गुप्ता।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 15.05.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता सुनील साहनी पुत्र छब्बू साहनी निवासी जमोहरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को न्यायालय उठने तक का कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 73/2018 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त सुनील साहनी को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 15.05.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता परशुराम निषाद पुत्र स्व0 रामस्वरुप निवासी अव्वल केवटलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 38/2020 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त परशुराम निषाद को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट व एससी/एसटी एक्ट के मामले में 03 अभियुक्तों को 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 15.05.2025 को मा0 न्यायालय– ए0एस0जे0/ एसपीजे/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 08/2017 धारा 354/323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट तथा 3(1)(w)(i)/3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के मामलें में अभियुक्तगण नाम पता 01.मसहूर पुत्र इंसाफ अली 02. मुख्तार अली पुत्र इंसाफ अली 03.इंसाफ अली पुत्र स्व0 गफ्फार निवासीगण भानपुर माफी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को धारा 3(2)(5) एससी/एसटी के अपराध में 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 323 के तहत 06 माह का कारावास व 1000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 3(2)(5) एससी/एसटी में 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।